न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 78/18 ((RCMS No.2018/00088) 18 आयुध अधिनियम 1959)

श्रीओम शर्मा पुत्र स्व0 रामखिलाडी जाति ब्राहमण निवासी वोरोली थाना वसेडी जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला कलक्टर धौलपुर

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 13.03.2018

उपस्थितिः—

1. श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल वकील अपीलान्ट
2. श्रीमती रचना सिनसिनवार वकील अपीलान्ट
3. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

नि र्ण य **दिनांकः 26.11.2018**

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 13.03.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट के अपने पिता स्व0 रामखिलाडी के नाम आर्म्स अनुज्ञापत्र को अपने नाम स्थानान्तरण के लिये प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के न्यायालय में पेश किया। इस प्रार्थना पत्र के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की। रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट के विरूद्ध बसेडी थाना में मु0 नं0 306/16 धारा 143, 353, 379 दर्ज होने व अनुशंधान जारी होने से अपीलान्ट के आर्म्स लाईसेन्स स्थानान्तरण किये जाने की अनुशंषा नही की तथा आवेदन पत्र दिनांक 13.03.18 को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गयी है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट के पिता को जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र को अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त अपीलान्ट द्वारा अपने नाम स्थानान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमें अपीलान्ट ने आवश्यक दस्तावेजात के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया था।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध मु0 नं0 306/16 दर्ज होने से आवेदन निरस्त किया है जबकि अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज मुकदमा को पुलिस जांच व जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अदम बकू गलत फहमी में मानते हुऐ एफ आई आर को दिनांक 01.05.17 को निरस्त कर दिया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय के निर्णय को नजर अन्दाज करते हुऐ आवेदन गलत आधार पर खारिज किया है। अपीलान्ट एक सीधा साधा व राजनैतिक व्यक्ति है जिससे अपीलान्ट को जानमाल का हमेश खतरा बना रहता है तथा प्रार्थी के विरूद्ध अन्य कोई मुकदमा किसी भी थाने पर विचाराधीन नही है। अपीलान्ट ने अपने पिता रामखिलाडी के नाम से जारी अनुज्ञापत्र सं0 8/71 को स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र में समस्त वारिसान की सहमति भी पेश की हुई है तथा प्रार्थी के पिता के नाम जारी अनुज्ञापत्र में वर्णित शस्त्र 12 वोर गन भी जमा होने के कारण किसी उपयोग में नही आ रही है। जिसके जमा रहने से उसके खराब होने का पूरा अन्देशा बना हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने झूॅठा मुकदमा एवं गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र को निरस्त किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलाय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के आवेदन को स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक का कथन है कि अपीलान्ट के विरूद्ध बसेडी थाना में मु0 नं0 306/16 धारा 143, 353, 379 दर्ज है जैसाकि जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट से स्पष्ट है। अपीलान्ट अपने स्व0 पिता के नाम दर्ज आर्म्स अनुज्ञापत्र को अपने नाम स्थानान्तरण कराना चाहता है जो नही किया जा सकता है। अपीलान्ट के विरूद्ध मुकदमे दर्ज होने से अपीलान्ट का आचरण सही प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट लेकर आवेदन पत्र को दिनांक 13.03.18 को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नही की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट के अपने पिता स्व0 रामखिलाडी के नाम आर्म्स अनुज्ञापत्र को अपने नाम स्थानान्तरण के लिये प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के न्यायालय में पेश किया। इस प्रार्थना पत्र के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की। रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट के विरूद्ध बसेडी थाना में मु0 नं0 306/16 धारा 143, 353, 379 दर्ज होने व अनुशंधान जारी होने से अपीलान्ट के आर्म्स लाईसेन्स स्थानान्तरण किये जाने की अनुशंषा नही की तथा आवेदन पत्र दिनांक 13.03.18 को निरस्त कर दिया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने से जाहिर है कि अपीलान्ट के विरूद्ध एफ.आई. आर. मु0 नं0 306/16 दर्ज हुई है जिसमें माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़ी जिला धौलपुर ने एफ.आर अदम बकू गलत फहमी स्वीकार की है। इसका तात्पर्य है कि अपीलान्ट के प्रकरण में न्यायालय द्वारा एफ. आर. लग चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने इस संबंध में न्यायालय को अवगत नही कराया और न ही इस संबंध में कोई दस्तावेज ही पेश किया हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण को पुनः सुनवाई कर निर्णय के लिये अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.03.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को संबंधित दस्तावेज पेश करने का अवसर देकर, सुनवाई का अवसर दिया जावे तथा गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official